आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/29-U दिनांक : 12/06/2023

विभागाध्यक्ष (समस्त)
राजस्थान।

विषय :– IFMS 3.0 के अन्तर्गत अधिवार्षिकी (Superannuation) आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भ :– वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/1112–1311 दिनांक 01.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य सरकार में अधिवार्षिकी (Superannuation) आयु प्राप्त कर माह जून एवं उसके बाद की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों हेतु राज्य सरकार द्वारा नवीन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत जिन विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा माह जून या उसके पश्चात् की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के प्रकरण पूर्व में पेंशन विभाग को प्रेषित किए जा चुके हैं, उनका निस्तारण IFPMS 2.0 के अन्तर्गत पेंशन विभाग के स्तर पर या तो किया जा चुका है अथवा प्रक्रियाधीन है। अतः, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर माह जून अथवा बाद की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के नवीन प्रकरण पेंशन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिकृतियां जारी किए जाने हेतु प्रेषित किये जाने शेष हैं, वे केवल IFMS 3.0 के अन्तर्गत ही https://ifms.rajasthan.gov.in/ifmssso/#/home के URL पर ही प्रेषित किये जाऐं। इस विषय में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र में विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। कृपया तदानुसार आवश्यक व्यवस्था का पालन करते हुए संचालन संबंधी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः से पालन किया जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित करने का श्रम करें। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह व्यवस्था केवल अधिवार्षिकी(Superannuation) आयु से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संदर्भ में प्रारंभ की गई है, अन्य सभी प्रकार के पेंशन प्रकरण IFMS 3.0 में प्रावधान होने तक पूर्व की भांति IFPMS 2.0 के माध्यम से पेंशन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करावें। अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर दिनांक 31.05.2023 तक जो कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, परन्तु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उनके प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित नहीं किये गये हैं, ऐसे प्रकरण केवल IFPMS 2.0 के अन्तर्गत http://pension.rajasthan.gov.in/ के URL पर ही पूर्ववत् प्रेषित किये जाऐं।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक